सं0-38/2024//001-297-23-12-2024-23-12099-836-2020

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 09 जुलाई, 2024

विषय:-केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद गोरखपुर के निर्माण खण्ड-3 में स्वीकृत सीहापार से धधसरा मार्ग (अजिमा) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य पर जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0-9771बीजी/7बी-डिमाण्ड/सीआरएफ(जीएसटी)/2023-24, दिनांक 22.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-57/2021/494/23-12-2021-ई0एफ0-36/2021, दिनांक 23.11.2021 द्वारा अन्य कार्यों के साथ-साथ अधोलिखित तालिका के कालम-3 में अंकित कार्य हेतु कालम-4 में अंकित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्समय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 प्रभावी नहीं था। अत: अधोलिखित तालिका के कॉलम -3 में अंकित कार्य की, कॉलम-4 में अंकित मूल स्वीकृति के सापेक्ष कालम-5 में अंकित अब तक आवंटित धनराशि में कालम-6 में अंकित अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कॉलम**-7** में अंकित पुनरीक्षित लागत से सम्बन्धित धनराशि रू0 1584.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कालम-8 में अंकित जी0एस0टी0 हेतु देय धनराशि रू0 53.07 लाख (रूपये तिरपन लाख सात हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

सं0	शासनादेश संख्या	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	जी0एस0टी0 हेतु मांग	स्वीकृत/पुनरीक्षित लागत (5+6)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	57/2021/494/23-12-2021-ई0एफ0-36/2021	जनपद गोरखपुर के निर्माण खण्ड-3 में स्वीकृत सीहापार से धधसरा मार्ग (अजिमा) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य पर जी0एस0टी0	1533.05	1531.05	53.07	1584.12	**53.07**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग जी0एस0टी0 की गणना के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(4) जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(9) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054048000421 सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों के लिए व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-35-एक्स-2024-25, दिनांक 08.07.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सं0-38/2024//001-297-23-12-2024-23-12099-836-2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

7- अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।

8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर ।

9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनु0-2

11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।